



न्यायालय: सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, त्वरित न्यायालय, एटा।
उपस्थित : सुश्री कमलेश कुमारी उ०प्र० न्यायिक सेवा(JO Code-UP 3528)
वाद संख्या-13314/2022
राज्य बनाम रामकिशन

धारा-207 एम०वी० एक्ट
थाना-नयागाँव, जिला एटा

बयान मुल्जिम

नाम:
पेशा:

पुत्र:
थाना:

उम्र:
जिला:

प्रश्न:1- क्या दिनांक 03-10-2022 को थाना हाजा द्वारा ट्रैक्टर संख्या यू०पी० 13वी० 1308 का चालान किया गया तथा वाहन को धारा 207 एम०वी० एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। जिसके उपरान्त उक्त वाहन का चालान न्यायालय भेजा गया। चैंकिंग के समय यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा माँगन पर वाहन से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर:

प्रश्न:2- क्या आप स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर:

प्रश्न:3- क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर:

सुनकर तस्दीक किया गया।

10-10-2022

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
त्वरित न्यायालय, एटा

आदेश अंतर्गत धारा 252 दण्ड प्रक्रिया संहिता

आज अभियुक्त/वाहन चालक जगजीवन उर्फ जगमोहन पुत्र अभिलाख सिंह उपरोक्त जुर्म की संस्वीकृति स्वेच्छा से की गयी है। अभियुक्त पर बिना किसी प्रपत्र के गाड़ी चलाने का आरोप है। वाहन का पंजीकृत स्वामी रामकिशन है। वाहन के सम्बन्ध में आर०सी०, ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा पत्रावली पर दाखिल किया गया है। अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर जो बीमा दाखिल किया गया है वह दिनांक 29-09-2015 तक वैध था। अभियुक्त की ओर से जुर्म संस्वीकृति स्वेच्छा से की गयी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अपराध हेतु अभियुक्त को 4000/-रु० (चार हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक सप्ताह का साधारण कारावास भोगना होगा।

(कमलेश कुमारी)

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
त्वरित न्यायालय, एटा